

# प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- [Csalmfdo@rediffmail.com](mailto:Csalmfdo@rediffmail.com)

पत्रांक 2848

/ 12-1

Phone/Fax :- (05962-230229)

दिनांक, 18/02/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमालें वृत्त,  
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव से सेलाकोट काने रिखाड़ से मेहरागाँव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- FP/ UK/ Road/ 36930/ 2018)।

संदर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या-1212/FP/UK/Road/36930/2018 दिनांक 07-11-2019 एवं स्थानिक अभियन्ता वाफ़ोस लिमिटेड भतरौजखान अल्मोड़ा का पत्रांक- 149/नौगाँव सेलाकोट/ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 15-01-2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

**रक्षक प्रशासनिक अधिकारी**  
**सिविल एवं सोयम वन प्रभाग**  
**अल्मोड़ा-263601**

प्रभागीय वनाधिकारी,  
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।



# कार्यालय स्थानिक अभियन्ता, वाफ्कोस लिमिटेड भतरौजखान अल्मोड़ा

पत्रांक 149 / नीगांव सेलाकोट / ऑनलाईन प्रस्ताव

सेवा में,

ई-मेल - pibubhatrojkhan@wafkos.co.in

दिनांक 15 / जनवरी / 2020

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नीगांव से सेलाकोट जाने रिखाड से मेहरागौव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FF/UK/ROAD/36930/2018)

संदर्भ :- आपका पत्रांक-1212 / FF/UK/ROAD/36930/2018- देहरादून दिनांक 07 नवम्बर 2019 महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा प्रस्ताव पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र.सं.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	प्रस्ताव में सलगन सभी प्रपत्रों में परियोजना का नाम अंकित किया जाय एवं ग्राम पंचायत प्रमाण-पत्रों में ग्राम पंचायत का नाम एवं ग्राम का नाम अंकित किया जाय।	प्रस्ताव में सलगन सभी प्रपत्रों में निर्देशानुसार सुधार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2	ऑथोरिटी लेटर में क्षेत्रफल में कटिंग कर नयी सूचना भरी गयी है। अतः बिना कटिंग का प्रमाण-पत्र सलगन करें एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में अधिकारी का नाम भी अंकित करें।	संशोधित प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ सलगन है।
3	डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित करें।	डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित कर दिया गया है।
4	ग्राम तथा प्रमाण-पत्र में भी कटिंग की की गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण-पत्र सलगन करें।	संशोधित प्रमाण-पत्र सलगन है।
5	एच0आर0ए0 प्रमाण-पत्र पर क्षेत्रफल में कटिंग की गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण पत्र सलगन करें।	संशोधित प्रमाण-पत्र सलगन है।
6	ग्राम तथा सेलाकोट प्रमाण-पत्र में दिनांक में कटिंग कर नयी दिनांक भरी गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण पत्र सलगन करें।	संशोधित प्रमाण-पत्र सलगन है।
7	जिस मुख्य मार्ग से प्रस्तावित मार्ग निर्मित किया जाना है उस मोटर मार्ग के भातत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में सलगन करें एवं तदनुसार मानचित्र / बारकाट में भी उसका उल्लेख करें तथा प्रस्तावित मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जुड़ा है, मानचित्र एवं बारकाट में सूचना पूर्ण रूप से भरी जाय।	अपेक्षित सूचना सलगन है।
8	डिजिटल एवं जियो-रिफरन्सड मानचित्र में टैकनिकल समीक्षण भी दर्शाया जाय।	डिजिटल एवं जियो-रिफरन्सड मानचित्र में टैकनिकल समीक्षण दर्शा दिया गया है।
9	प्रस्तावित मार्ग की पठनीय वितीय स्वीकृति सलगन करें एवं उसको हार्डलाईट किया जाय।	प्रस्तावित मार्ग की पठनीय वितीय स्वीकृति सलगन है।
10	उक्त प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित मार्ग हेतु स्थित एवं माप भूमि का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव के अन्य प्रपत्रों में वन पंचायत का उल्लेख है। सही सूचना भरी जाय।	संशोधित सूचना सलगन है।
11	भू-वैज्ञानिक की मूल प्रति प्रस्ताव में सलगन करें।	भू-वैज्ञानिक की मूल प्रति सलगन है।

(सिग्ना: पृष्ठ नं० 02 पर)

12	उत्पादित होने वाले मलबे का पूर्ण विवरण संलग्न करें एवं मलवा स्थल को डिजिटल मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय।	उत्पादित होने वाले मलबे का पूर्ण विवरण एवं मलवा स्थल को डिजिटल मानचित्र संलग्न कर दिया गया है।
13	क्यों के वैज्ञानिक नाम अंकित किया जाय।	क्यों के वैज्ञानिक नाम अंकित कर दिये गये है।
14	लेण्ड शेड्यूल के अनुसार ही कृषों की गणना की जाय।	लेण्ड शेड्यूल के अनुसार कृषों की गणना की गयी है।
15	एन०१०वी० आकलन प्रमाण-पत्र में धनत्व ऑनलाईन के अनुसार भरते हुये प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी की मुहर अवहित है।	संशोधित प्रमात्र-पत्र संलग्न है।
16	कार्य प्रारम्भ न होने तकको प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	प्रमात्र-पत्र संलग्न है।
17	सम्बाई-बोर्डई प्रमाण-पत्र में कुल योग का कोल बनाकर सूचना भरी जाय।	सूचना संलग्न है।
18	बाज कूच प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	आख्या संलग्न है।

जत: सूचनाएं प्रेषित।



स्थानिक अभियन्ता,  
वाकोस लिमिटेड मतरोजखान  
अल्मोड़ा।